



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 04 फरवरी, 2026 / 15 माघ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171-009, 27 जनवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए(1)3/2024-4871-77.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-60492-97, दिनांक 18-12-2025 के अन्तर्गत, जिला बिलासपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को

पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों / ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं०. 4 में वर्णित ग्राम / ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंड सदर						
1.	बाडनू दिगथली	1. बाडनू 2. घनसेड 3. भोजपुर 4. दिगथली 5. मंडोखर	1. बाडनू 2. घनसेड	सुई सुरहाड	1. सुरहाड 2. बोंगर 3. चिलग 4. वठोग 5. सुई 6. बाडनू 7. घनसेड	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम भोजपुर, दिगथली व मंडोखर के लिए ग्राम सभा का नाम "दिगथली" घोषित किया जाता है

आदेश द्वारा,

सचिव
पंचायती राज।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 27 जनवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए(1)3/2024-4832-39.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच- एचए(1) 3/2024-60507-12 दिनांक 18-12-2025 के अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने

हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर उपायुक्त, जिला सोलन द्वारा विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित उपरोक्त अनुसार जारी अधिसूचना में वर्णित ग्राम सभा चमदार, की प्रस्तावना को निरस्त करने तथा निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिस में कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है।	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड कुनिहार						
2.	शहरोल	1. धैना 2. बटेड 3. शहरोल कुईरू 4. ल्वाहा 5. स्मोह ब्राहमणा 6. कल्याणपुर	1. धैना 2. बटेड	बड़ोग	1. भजोलू 2. व्यान्टलू 3. चेट 4. गूराडू 5. खडक्याली 6. ठागर 7. धारजट्टा 8. धारब्राहमणा 9. रझीणा 10. स्वावा 11. ब्राहमणा 12. बड़ोग 13. ननोग 14. तनसेटा 15. समलेच 16. धेना 17. बटेड	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "शहरोल" में रहेंगे।
3.	हनुमान बड़ोग	1. बड़ोग मनलोग 2. हनुमान बड़ोग 3. नंवा 4. मंधोवटी 5. डम्लाना वाला 6. डम्लाना जेरी 7. जंगल मनलोग	1. बड़ोग मनलोग	दाड़ला	1. दाड़ला 2. कोटला पुजारिया 3. स्यार 4. काकड़ा 5. कोटला नुम्हाला 6. नौणी 7. जावी	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेषग्राम, ग्राम सभा, "हनुमान बड़ोग" में

		8. मनान 9. रणोह शासन 10. रणोह खालसा 11. गंदेवटा 12. बहल 13. कोटला			8. ईयू 9. बड़ोग मनलोग	रहेंगे।
3. विकास खण्ड धर्मपुर						
4.	जाबली	1. रानीगांव 2. कुराड़ 3. गाही 4. डीब 5. नाहौण 6. भाट का गांव 7. मंझेड 8. मांझ 9. राजडी 10. राजपुरी 11. शमराल 12. शेरला 13. शेवला शाई 14. सुज्जी चारजा	1. रानी गांव	चम्मों	1. गड़यार 2. कैन्थी 3. बटोल खुर्द 4. बटोल कला 5. सानना 6. नकयार 7. आँयल 8. डोल 9. चम्मों 10. चवाजा 11. करोल 12. बायला बलाउ 13. छदो 14. शौडों 15. रानी गांव	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "जाबली" में रहेंगे।
4. विकास खण्ड सोलन						
5.	सुल्तानपुर	1. घलयाना 2. लाडों 3. मंझोली 4. कोटला 5. नेरी खुर्द 6. मशोन 7. दियुड 8. आंजी ब्राहमणा 9. खलोगडा 10. जोल भाईली 11. रामपुर 12. सुल्तानपुर	1. घलयाना	बड़ोग	1. बड़ोग 2. रुन्दन घोड़ों 3. लोहान्जी 4. ढिल्लों 5. थापों 5. घलयाना	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "सुल्तानपुर" में रहेंगे।
6.	बोहली	1. नेरी कलां 2. क्यारटू 3. काटल कठार 4. बोहली 5. खल्यांटी 6. जोहड़ पटियाला 7. शाय 8. धारों	1. नेरी कलां	सुल्तानपुर	1. लाडों 2. मंझोली 3. कोटला 4. नेरी खुर्द 5. मशोन 6. दियुड 7. आंजी ब्राहमणा 8. खलोगडा 9. जोल भाईली 10. रामपुर	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "बोहली" में रहेंगे।

		9. मेंहली 10. मझयार 11. घुवायली 12. सोबडु 13. कठारी 14. मंझलोड़ी 15. शमलोग 16. जाबल रशेश			11. सुल्तानपुर 12. नेरी कलां	
7.	बीशा	1. बजौर 2. जगल घनाहे 3. बीशा 4. जंगल बीशा 5. घ्यारी 6. काथली	1. बजौर	बाशा	1. शुंगल 2. शुंगल सुरो 3. शडयाल 4. सुरो 5. कुम्हाला 6. बशा 7. बगेट 8. बजौर	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "बीशा" में रहेंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 27 जनवरी, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3/2024-4848-54.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-60451-64, दिनांक 18-12-2025 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर उपायुक्त, जिला कांगड़ा द्वारा विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित उपरोक्त अनुसार जारी अधिसूचना में वर्णित ग्राम सभा चन्दपुर, सिहोरपाई, घलौर व थिल की प्रस्तावना को निरस्त करने तथा निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड सुराणी						
1.	बग	1. गहल 2. जयाडा 3. कोका 4. ढाटी 5. ढाटी परमाला 6. नाहली 7. पतरेली 8. मैरा 9. बग्गी 10. चकबन कालीधरा	1. गहल 2. जयाडा	सिल्हकराल	1. अम्बाडा 2. कुटाहन 3. कराल 4. किहड़ी 5. झलोट 6. भटलाहडू 7. सिल्ह 8. भटवाल 9. मतेहड़ 10. रोहल 11. गहल 12. जयाडा	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "बग" में रहेंगे।
2.	डोल खरियाना	1. सौर खुर्द 2. कुकडीयाना 3. खालग 4. जमूला 5. जमूली 6. टिक्कर 7. डोला 8. बाग 9. सौर कलां 10. रिजर्व जंगल जमूली 11. रिजर्व जंगल खालग 12. जमलेहड 13. भलाड कलां 14. लोहारकड 15. सरारकड	1. सौर खुर्द	पुखरू	1. चौकी 2. दोधरू 3. पुखरू 4. भराडी 5. वासिन 6. सौर खुर्द	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "डोल खरियाना" में रहेंगे।
2. विकास खण्ड नगरोटा सूरियां						
3.	न्यागल	1. भटोली 2. भौंका 3. न्यांगल 4. रिजर्व जंगलवाड़	1. भटोली	त्रिलोकपुर	1. त्रिलोकपुर 2. मंगल 3. नवांशह 4. भटोली	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "न्यागल" में रहेंगे।

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 27 जनवरी, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3/2024-4855-60.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-60441-50, दिनांक 18-12-2025 के अन्तर्गत, जिला कुल्लू में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कुल्लू को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड निरमण्ड						
1.	कोटि	1. ब्युणी 2. खानी 3. ठोड़ू 4. शालोग 5. शालुरी 6. कोटि धार 7. अम्तुआ 8. पकोरा 9. शरण 10. जोवा 11. देवथान 12. वल्श्रेया 13. कोटि 14. अमत्तुआ 15. पकोरा 16. शरण 17. जोवा	1. ब्युणी (खसरा न० 875-1008, 101-1025, 1027-1040, 1042-1063, 1065-1088, 1090-1284)	कोट	1. नोंगी 2. खाजेडा 3. कोट 4. सेऊबाग 5. थौवा 6. कुखडी 7. बगना 8. खरेह 9. डोडा 10. कलारस 11. डगेश 12. मडी 13. डुगा-1 14. पतवा 15. डुगा-2 16. लाऊट 17. धार	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम ब्युणी के उक्त खसरा संख्या को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "कोटि" में रहेंगे।

		18. देवथान 19. बशलैया 20. रगढ़ 21. चटोलनु			18. भेख्या 19. देखा 20. दगोट 21. तारुली मेरी 22. शरुवरण 23. रेउशल 24. ब्युणी	
--	--	--	--	--	--	--

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st January, 2026

File No.: HFW-B-B015/11/2023.—In continuation and partial modification of this Department notification of even no. dated, HFW-B-B015/11/2023, dated, 10-10-2025, *vide* which new Resident Doctor Policy, 2025 was notified, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to incorporate the following provisions in Resident Doctors Policy with immediate effect, in the public interest as under:—

- (1) The prescribed ratio for the total number of seats of Senior Residents/Tutors (Specialist) in each Medical College/Institution shall be distributed in the ratio of 66.66% :33.33% as under:—

(a) For in service GDO/MO=66.66%

(b) For direct candidates =33.33%

For the purpose of maintaining the prescribed ratio of 66.66%:33.33% between the GDO/MO and direct candidates roster shall be prescribed by AMRU.

Further the distribution of seats will be interchangeable in case of non-availability of candidates in their respective Group/Category *i.e.* GDO/MO candidate by direct candidate or *vice versa*.

- (2) The number of seats so sanctioned of Senior Resident/Tutor (Specialists) for filling up in Non-Clinical Specialties/departments for Senior Resident/Tutors Specialists for IGMC Shimla and Dr. RPGMC Tanda in no case shall exceed as which has been prescribed by the NMC.

This issues with the prior approval of competent authority.

By order,

Sd/-

Secretary (Health).

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Rajender Sharma

Versus

General Public

Notice to General Public.

Rajender Sharma s/o Jagdish Chand, r/o Village Padhian, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of death date of Sourab Sharma which took place on 05-06-2011 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Balh-Bihal. In this regard, the applicant Rajender Sharma has submitted the requisite documents mentioning the date of death of Sourab Sharma as 05-06-2011.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of death of Sourab Sharma *i.e.* 05-06-2011, they can either in person or through counsel file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-01-2026.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Attar Singh

Versus

General Public

Notice to General Public.

Attar Singh s/o Dharam Singh, r/o Village Bijhari, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of death date of Dharam Singh which took place on 08-10-1986, but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Bijhari. In this regard, the applicant Attar Singh has submitted the requisite documents mentioning the date of death of Dharam Singh as 08-10-1986.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of death of Dharam Singh i.e. 08-10-1986, they can either in person or through counsel file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-01-2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Keshri Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Keshri Devi d/o Nandu Ram, r/o Village Dalchera, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which took place on 16-07-1965, but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Dalchera. In this regard, the applicant has submitted the requisite documents mentioning the date of birth as 16-07-1965.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant Keshri Devi, they can either in person or through counsel file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-01-2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
80648 / 2026	नाम दुरुस्ती	19-01-2026	10-02-2026

श्रीमती जसोदा देवी पत्नी जुगना राम, वासी गांव डूहक, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 श्रीमती जसोदा देवी पत्नी जुगना राम, वासी गांव डूहक, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती जसोदा देवी पत्नी जुगना राम, वासी गांव डूहक, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति का नाम मोहाल डूहक के राजस्व अभिलेख में जुगना राम पुत्र महन्त दर्ज है, जबकि उनका सही नाम जग्गी पुत्र महन्त दर्ज है। लिहाजा इसे मोहाल डूहक के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके जुगना राम उर्फ जग्गी पुत्र महन्त किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10-02-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में अदालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया के पति का नाम मोहाल डूहक में दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 27-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी खुण्डियां, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा नं0 : 709614/2026

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 19-02-2026

श्रीमती आशा कुमारी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय—प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

श्रीमती आशा कुमारी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में बलदेव सिंह दर्ज है व उसके पति का विख्यात व सही नाम भी बलदेव सिंह ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कोहलडी में उसके पति का नाम बलदेव राज गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपने पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कोहलडी में दुरुस्ती करवा करके बलदेव राज की बजाए बलदेव सिंह उपनाम बलदेव राज दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री-मुन्यादी

चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थीया के पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कोहलडी में दुरुस्ती करवा करके बलदेव राज के बजाए बलदेव सिंह उपनाम बलदेव राज दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 19-02-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी खुण्डियां, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 709613/2026

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 18-02-2026

श्री पदमदेव सिंह पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल रछाहण, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल रछाहण, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

श्री पदमदेव सिंह पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल रछाहण, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पदमदेव सिंह दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी पदमदेव सिंह ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त घुठियालता—1 के महाल रछाहण में उसका नाम पदमदेव गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल रछाहण में दुरुस्ती करवा करके पदमदेव के बजाए पदमदेव सिंह उपनाम पदमदेव दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री—मुन्यादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल रछाहण में दुरुस्ती करवा करके पदमदेव की बजाए पदमदेव सिंह उपनाम पदमदेव दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 18-02-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं० :
709615 / 2026

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी :
18-02-2026

श्रीमती अनिशा देवी पुत्री श्री प्रशोतम, निवासी महाल कोरली, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कोरली, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

श्रीमती अनिशा देवी पुत्री श्री प्रशोतम, निवासी महाल कोरली, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में अनिशा देवी दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी अनिशा देवी ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त वारकलां के महाल कोरली में उसका नाम निशा देवी गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल कोरली में दुरुस्ती करवा के निशा देवी के बजाए अनिशा देवी उपनाम निशा देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री/मुनादी चरपांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कोरली में दुरुस्ती करवा के निशा देवी के बजाए अनिशा देवी उपनाम निशा देवी दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 18-02-2026 को असातन या वकालतन हाजिर होकर अदालत को अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिया जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

शिवानी चौहान पुत्री विजय कुमार, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि का पंजीकरण करने हेतु।

प्रार्थिया शिवानी चौहान पुत्री विजय कुमार, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता सिमरो देवी पुत्री तोता राम का जन्म दिनांक 28-07-1973 को गांव पेड़ला, डाकघर टिहरी में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा सिमरो देवी पुत्री तोता राम, गांव पेड़ला, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि 28-07-1973 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० :
709616/2026

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी :
18-02-2026

शेर सिंह पुत्र चुहडू राम, निवासी महाल थलाकन, मौजा गन्धवाड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल गन्धवाड, खास व महाल छौंट, मौजा गन्धवाड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

इश्तहार मुश्री/मुनादी।

शेर सिंह पुत्र चुहडू राम, निवासी महाल थलाकन, मौजा गन्धवाड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है

कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में चुहडू राम दर्ज है, व उसके पिता का विख्यात व सही नाम भी चुहडू राम ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गन्धवाड के महाल छौंट व गन्धवाड खास में उसके पिता का नाम चुहडू गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल छौंट व गन्धवाड खास में दुरुस्ती करवा करके चुहडू के बजाए चुहडू राम उपनाम चुहडू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व महाल छौंट व गन्धवाड खास में दुरुस्ती करवा करके चुहडू के बजाए चुहडू राम उपनाम चुहडू दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 18-02-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अदालत को अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Mool Chand s/o Shukru Ram, r/o Vill. Tandala, P.O. Kais, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Prancy Bhaskar to Paridhi Bhaskar for all future purposes. Concerned note it.

MOOL CHAND
s/o Shukru Ram,
r/o Vill. Tandala, P.O. Kais,
Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Som Nath Singh aged about 42 years s/o Sh. Ganesh Singh, r/o Vidya Bhawan, Lower Vikasnagar, Shimla Urban (T) Shimla (H.P.)-171 009 declare that I have changed my daughter's name from Payal Singh (old name) to Simran (new name). All concerned please may note.

SOM NATH
s/o Sh. Ganesh Singh,
r/o Vidya Bhawan, Lower Vikasnagar,
Shimla Urban (T) Shimla (H.P.)-171 009.

CHANGE OF NAME

I, Ashish Kumar Walia s/o Pradeep Kumar Walia, r/o Vill. Kothon, P.O. Shamti (629), Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Ashish Kumar to Ashish Kumar Walia. Please note it.

ASHISH KUMAR WALIA
*s/o Pradeep Kumar Walia,
r/o Vill. Kothon, P.O. Shamti (629),
Tehsil & Distt. Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Suman Lata w/o Sh. Ajeet Singh, r/o Vill. Gadru, P.O. Sulkhan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sumana Devi to Suman Lata. I shall be known as Suman Lata for all purposes in future. All concerned please note.

SUMAN LATA
*w/o Sh. Ajeet Singh,
r/o Vill. Gadru, P.O. Sulkhan,
Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Vijo w/o Narain Dass, Vill. Kuthar Pargana Kohal, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.) declare my name is incorrectly recorded as Vijay Devi on my Aadhar Card that my correct name is Vijo and I request that the correct name Vijo be updated on my Aadhar Card.

VIJO
*w/o Narain Dass,
Vill. Kuthar Pargana Kohal,
Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Ramesh Kumar s/o Panna Lal, Vill. Batahan, P.O. Ghambhar khad, Tehsil Balh, Batahan (92), Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 4645 6494 0286 my name Pankaj Sharma is wrongly entered. Correct name is Ramesh Kumar

RAMESH KUMAR
*s/o Panna Lal, Vill. Batahan,
P.O. Ghambhar khad, Tehsil Balh,
Batahan (92), Distt. Mandi (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Bharat Singh s/o Sant Ram, Vill. Magnal, P.O. Millah, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my son Vansh Rawat's name is wrongly written as Vanish Rauta in Aadhar Card 6021 3966 2308. Whereas his correct and actual name is Vansh Rawat. Please all note.

BHARAT SINGH
s/o Sant Ram,
Vill. Magnal, P.O. Millah,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Amit Kumar s/o Sh. Bugga Ram, r/o Vill. Sambhalka, P.O. Mattar, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 001 declare that I have changed the name of my son from Aranav Bharwaj to Arnab Bhardwaj.

AMIT KUMAR
s/o Sh. Bugga Ram,
r/o Vill. Sambhalka, P.O. Mattar,
Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 001.

CHANGE OF NAME

I, Kamlesh Rani w/o Sh. Jagjit Singh, r/o Vill. Buthara, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Kashish Thakur is wrongly mentioned as Kashik Thakur in her Aadhar Card No 2673 3918 6261. Therefore it should be changed to Kashish Thakur in her Aadhar Card. Note the relevant information.

KAMLESH RANI
w/o Sh. Jagjit Singh,
r/o Vill. Buthara, P.O. Kutara,
Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ram Pyari w/o Sh. Ravinder Singh, r/o Vill. Bajuri Khas, P.O. & Tehsil Hamirpur, District Hamirpur, H.P. declare that I have changed my name from Parvin Lata to Ram Pyari for all purposes in future. All concerned please note.

RAM PYARI
w/o Sh. Ravinder Singh,
r/o Vill. Bajuri Khas, P.O. & Tehsil Hamirpur,
District Hamirpur, (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manoj Kumar s/o Sh. Mohan Lal, Vill. Bhooth, P.O. Jagothi, Tehsil Rohru, District Shimla, H.P. declare that name of my daughter Kriti is wrongly mentioned as Kashvi Omta in her Adhar Card No. 8172-4083-6581. Therefore it should be changed to Kriti in her adhar card . Note the relevant information.

MANOJ KUMAR
s/o Sh. Mohan Lal,
Vill. Bhooth, P.O. Jagothi,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Neera Devi w/o Sh. Inder Singh, r/o Vill. Manal, P.O. Gwali Tehsil Shillai, District Sirmaur, H.P. do hereby solemnly affirm and state that in the Panchayat records of Gram Panchayat Manal, my name is recorded as Neera Devi and my hasband's name is recorded as Inder Singh which is correct. That due to a mistake, my name is recorded as Nirjala and my husband's name is recorded as Indra Singh in my Aadhar Card, which is incorrect. That I wish to get my name corrected to Neera Devi and husband's name corrected to Inder Singh in my Aadhar Card as per the panchayat records.

NEERA DEVI
w/o Sh. Inder Singh,
r/o Vill. Manal, P.O. Gwali, Tehsil Shillai,
District Sirmaur(H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hemabanti Devi (UIN-6794-0993-0396) w/o Sh. Ranvir Singh, r/o Vill. Kando Katyad, P.O. Jamta Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. declare that I have changed my name from Hemabanti (previous name) to Hemamanti (new name). All concerned please note.

HEMABANTI DEVI
w/o Sh. Ranvir Singh,
r/o Vill. Kando Katyad, P.O. Jamta,
Tehsil Nahan, District Sirmaur(H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhavneshwari Devi (35) w/o Sh. Lekh Ram, r/o Vill. Malyani, P.O. Bayla Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. declare that as per PAN Card and School Certificate etc. my actual and correct name is Bhavneshwari Devi instead of Bhuvneshwari Devi. All concerned please note.

BHAVNESHWARI DEVI
w/o Sh. Lekh Ram,
r/o Vill. Malyani, P.O. Bayla,
Tehsil Sunder Nagar, District Mandi(H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Parshotam Singh s/o Sh. Jagdish Dutt, r/o Vill. Dharoti Madhaura, P.O. Panwa, Tehsil Pachhad, District Sirmaur, H.P. declare that my daughter's correct name is Parineeti, but it has been wrongly recorded as Parniti, her Aadhar Card No. 7886-2219-2701. This may please be corrected to Parineeti. Concerned authorities may please note.

PARSHOTAM SINGH
s/o Sh. Jagdish Dutt,
r/o Vill. Dharoti Madhaura, P.O. Panwa,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur, H.P.

CHANGE OF NAME

I, Vidya Singh s/o Late Sh. Gopi Nand, V.P.O. Tangnu, Tehsil Chirgaon, District Shimla, H.P. declare that my name is wrongly mentioned as Widha Singh in my Aadhar Card No. 9847-4276-6007. Therefore it should be changed to Vidya Singh in Aadhar Card. Note the relevant information.

VIDYA SINGH
s/o Late Sh. Gopi Nand,
V.P.O. Tangnu, Tehsil Chirgaon,
District Shimla, H.P.

CHANGE OF NAME

I, Pawan Kumar s/o Sh. Jagat Chand, V.P.O. Turan, Tehsil Jubbal, District Shimla, H.P. declare that name of my daughter Priyangi is wrongly mentioned as Baby one of Sapna in her Aadhar Card No. 5048-7853-5529. Therefore it should be changed to Priyangi in her Aadhar. Note the relevant information.

PAWAN KUMAR
s/o Sh. Jagat Chand,
V.P.O. Turan, Tehsil Jubbal,
District Shimla, H.P.

